कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वित्तीय आँकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित इनपुटों को समय पर संघ शासित क्षेत्र को उपलब्ध कराने हेतु बजट प्राक्कलनों की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान संघ शासित क्षेत्र के वित्तीय निष्पादन का निष्पक्षता से मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित किया गया है। यह प्रतिवेदन सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु संघ शासित क्षेत्र सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा अतिरिक्त आँकड़े जैसे संघ शासित क्षेत्र का बजट, विभागीय प्राधिकरणों के अन्य आँकड़े**,** जीएसडीपी आँकड़े और अन्य संघ शासित क्षेत्र संबंधी सांख्यिकी पर आधारित, यह प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है।

अध्याय-I प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा अंतर्निहित आँकड़े, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख-सूचकांकों के वृहत् राजकोषीय विश्लेषण और संघ शासित क्षेत्र के घाटे/ अधिशेष सहित संघ शासित क्षेत्र की राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन उपलब्ध कराता है।

अध्याय-II संघ शासित क्षेत्र के वित्त लेखाओं पर आधारित संघ शासित क्षेत्र की ऋण रूपरेखा और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों, संघ शासित क्षेत्र के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराता है।

अध्याय-III संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के विनियोग लेखे पर आधारित है और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विनियोगों तथा आबंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलनों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

अध्याय-IV संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत संघ शासित क्षेत्र के लेखाओं की गुणवत्ता और संघ शासित क्षेत्र सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय-V इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के

अनुपालन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन पर टिप्पणी करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-I एवं II विहंगावलोकन एवं संघ शासित क्षेत्र के वित्त:

राजस्व प्राप्तियाँ के अंतर्गत (₹38,605 करोड़) कम प्राप्ति थी, यह बजट प्राक्कलनों के संबंध में स्वयं के कर राजस्व (₹4,364 करोड़), संघीय करों के अंश (₹15,200 करोड़), अतिरिक्त संसाधन जुटाव (₹4,000 करोड़), जीओआई से सहायता अनुदान (₹15,052 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण थी। राजस्व व्यय बजट अनुमानों के संबंध में ₹10,030 करोड़ तक कम था। इनका परिणाम संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को बजट प्राक्कलनों में अनुमानित ₹28,436 करोड़ राजस्व अधिशेष के प्रति ₹138 करोड़ के राजस्व घाटे के रूप में हुआ।

(पैरा 1.5)

वर्ष के दौरान संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर का राजस्व घाटा ₹138.27 करोड़ था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण, राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि एवं जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं करने, परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान को करने के कारण ₹250.56 करोड़ तक कम आंकलित किया गया था।। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹10,693.36 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो कि राज्य वनरोपण निधि, राज्य वनरोपण जमा पर ब्याज का भुगतान न करने एवं परिभाषित अंशदायी पेन्शन निधि में कम अंशदान के कारण ₹60.75 करोड़ तक कम बताया गया।

(पैरा 1.7.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के लिए सहायता अनुदान का प्रतिशत 75.32 प्रतिशत था।

(पैरा 2.3.2.2)

प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 74.67 प्रतिशत था और यह राजस्व प्राप्तियों का 74.87 प्रतिशत था इस प्रकार वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्ति का लगभग 25 प्रतिशत अन्य व्यय के लिए उपलब्ध था।

(पैरा 2.4.2.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने दो कंपनियों और एक निगम में ₹83.27 करोड़ का निवेश किया और 31 मार्च 2021 तक कुल ₹162.39 करोड़ का निवेश था। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के पास 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक 38 कंपनियों (₹4,148.83 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹374.34 करोड़), आठ सहकारी संस्थानों/ स्थानीय निकायों

(₹47.83 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹45.82 करोड़) एवं दो संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹0.34 करोड़) में ₹4,617.16 करोड़ राशि का संचयी निवेश था जिसे संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तथा संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के मध्य विभाजित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.4.3.2.)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹61.64 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम संवितरित किये और ₹1.93 करोड़ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की। संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने ₹32.50 करोड़ की राशि जम्मू एवं कश्मीर सड़क परिवहन निगम लिमिटेड को स्वीकृत की जिसके पास पहले से ही 31 मार्च 2020 की समाप्ति तक ₹406.73 करोड़ (₹383.73 करोड़ तत्कालीन राज्य से तथा संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर से ₹23 करोड़ प्राप्त हुए) के बकाया ऋण थे।

(पैरा 2.4.3.3)

वर्ष 2020-21 के दौरान, संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की आरक्षित निधियों के अंतर्गत शेष ₹771.13 करोड़ था। 30 अक्टूबर 2019 की समाप्ति तक आरक्षित निधियों में ₹2,806 करोड़ की राशि का संचयी कुल शेष था जिसे 31 मार्च 2021 तक दो संघ शासित क्षेत्रों के मध्य द्विभाजित नहीं किया गया था।

(पैरा 2.5.2)

संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अनिवार्य न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹1.14 करोड़ को बिना विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)/ ओवरड्राफ्ट लिए 47 दिनों तक बनाये रखा और 260 दिनों तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करके न्यूनतम शेष को बनाये रखा, इसके अलावा 58 दिनों तक सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ओवरड्राफ्ट लिया गया था।

(पैरा 2.7.3)

अध्याय-III बजटीय प्रबंधन:

16 अनुदानों में 53 योजनाओं/ उपशीर्षों के अंतर्गत ₹6,714.34 करोड़ की राशि बजटीय प्रावधानों के बिना व्यय की गयी थी जिसे नियमित किये जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 3.3.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय की ₹189.81 करोड़ की राशि, व्यय के पूँजीगत मुख्य शीर्षों के अंतर्गत संवितरित की गयी थी, जिसका परिणाम पूँजीगत

व्यय के अधिक आंकलन और राजस्व व्यय के कम आंकलन तथा ₹189.81 करोड़ की सीमा तक राजस्व घाटे के रूप में हुआ।

(पैरा 3.3.2)

वर्ष के दौरान प्रत्येक मामले में ₹50 लाख या उससे अधिक को शामिल करते हुए 11 मामलों में प्राप्त कुल ₹12,393.19 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया था

(पैरा 3.3.3)

पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹31,987.59 करोड़ की राशि की 25 अनुदानों में विभागों द्वारा ₹100 करोड़ और इससे अधिक की बृहत् बचतें थी।

(पैरा 3.4)

35 अनुदानों में से, 34 अनुदानों में उपयोगिता 20 प्रतिशत और 83 प्रतिशत के बीच रही। शेष एक अनुदान में 11 प्रतिशत तक अधिक उपयोगिता रही थी जिसका परिणाम वर्ष 2020-21 के दौरान प्रावधानों पर आधिक्य के रूप में हुआ।

(पैरा 3.4.1)

वर्ष के दौरान 139 योजनाओं को शामिल करते हुए 25 अनुदानों के अंतर्गत ₹18,134.91 करोड़ का संपूर्ण बजट प्रावधान अनुप्रयुक्त रहा जिसके परिणामस्वरूप जनसाधारण अभिप्रेत लाभों से वंचित रहा।

(पैरा 3.5)

वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान संख्या 08 (वित्त विभाग) में पूँजीगत प्रभारित अनुभाग के अंतर्गत ₹7,094.29 करोड़ की राशि के किये गये आधिक्य व्यय को नियमित किया जाना है।

(पैरा 3.5.1)

चार अनुदानों में, वर्ष के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय केवल मार्च 2021 के दौरान ही किया गया है और व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का 56 प्रतिशत और 64 प्रतिशत के बीच रहा। इसी प्रकार, सात अनुदानों में वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया है और व्यय का प्रतिशत 57 प्रतिशत और 76 प्रतिशत के बीच रहा।

(पैरा 3.8.2)

अध्याय-IV वित्तीय रिपोर्टिंगः

विभिन्न विभागों के प्रति ₹10,076.58 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए अनुदानों के संबंध में 3,215 उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2021 तक बकाया थे।

(पैरा 4.4)

31 जनवरी 2021 तक 356 एसी बिलों पर आहरित ₹5,280.71 करोड़ की आहरित राशि प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू एवं कश्मीर को प्रस्तुत नहीं की गयी। तत्कालीन राज्य से संबंधित 30 अक्टूबर 2019 तक आहरित ₹6,885.63 करोड़ की राशि के 2,237 संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के संबंध में विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल भी प्रतीक्षित थे।

(पैरा 4.5)

वित्त लेखाओं में प्रासंगिक शीर्षों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दर्शाने के बजाय वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹3,741.00 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.13 प्रतिशत) को लघु शीर्ष-800-'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और ₹4,677.34 करोड़ का व्यय (कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का लगभग 7.41 प्रतिशत) लघु शीर्ष 800-'अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किया गया था जो वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं।

(पैरा 4.6)

वर्ष 2020-21 के दौरान,₹48,444.58 करोड़ की प्राप्तियों (लोक ऋण को छोड़कर संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर की ₹52,495.48 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्तियों का 92.28 प्रतिशत) और ₹40,905.14 करोड़ के व्यय (कुल राजस्व का 64.82 प्रतिशत) तथा ₹63,104.13 करोड़ का पूँजीगत व्यय का मिलान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) के साथ किया गया।

(पैरा 4.8)

वर्गीकरण गलत था और विभिन्न रूप से दिये गये सहायता अनुदान के संबंध में विवरण उपलब्ध (आईजीएएस 2) नहीं कराया गया था। बकायों की वसूलियों और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत (आईजीएएस 3) नहीं की गयी थी।

(पैरा 4.10)

अध्याय-V सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन:

31 मार्च 2021 तक, विद्युत क्षेत्र में पीएसयू की इक्विटी में ₹5,073.32 करोड़ के कुल निवेश में से, जीओजेएण्डके द्वारा ₹2,593.54 करोड़ (51.12 प्रतिशत) का अंशदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्युत क्षेत्र के अलावा क्षेत्रों के 36 पीएसयू में ₹969.10 करोड़ का कुल निवेश था। सरकार ने विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र में कार्य कर रहे पीएसयू को ₹1,437.72 करोड़ का ऋण भी दिया था।

(पैरा 5.4.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान जीओजेएण्डके से पीएसयू द्वारा ₹3,151.70 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त की थी।

(पैरा 5.4.2)

जेएण्डके बैंक लिमिटेड के शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2020 तक ₹881.83 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 तक ₹1,901.35 करोड़ था।

(पैरा 5.4.5)